



2026:AHC:33373

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- ए संख्या- 2265 सन् 2026

सत्य प्रकाश श्रीवास्तव

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अशोक कुमार राय

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 01.08.1986 को सहायक लेखा क्लर्क के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद 30.09.2003 को उसे सहायक लेखा क्लर्क के पद पर पदोन्नत किया गया और 30.11.2017 को वह सहायक लेखाकार के पद से सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार, एक कार्यालय आदेश 24.03.2023 पारित किया गया, जो याचिकाकर्ता के हित में नहीं था, जिसके तहत याचिकाकर्ता का वेतनमान, जो पहले 5000-8000 ग्रेड पे 4200 था, घटाकर 4500-7000 ग्रेड पे 2800 कर दिया गया।
3. इस रिट याचिका में उक्त आदेश में उपांतरण की प्रार्थना की गई है।
4. न्यायालय की राय में, उक्त आदेश पर प्रश्न उठाना याचिकाकर्ता का अधिकार है।
5. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उक्त आदेश पर प्रश्न उठाने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान याचिका वापस लेने की मांग की है।
6. तदनुसार, उक्त स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

16 फरवरी, 2026

एन० एस० राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"